

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/449/2012

दर्ज दिनांक:- 04.12.2012

1. मोहनवती पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. निहालसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

उदयवीर कसाना

प्राथी अभिभाषक

राजेन्द्रसिंह

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-09.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत के बाद भी प्रतिवादी सं. 7,8,9,10 की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई मौका देने के बाबजूद अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। प्रतीत होता है कि वादिया की अपने दावा में कोई रूचि नहीं है। अतः दावा वादिया अन्तर्गत 0-9-आर.5-सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर